418/12 रामेश्वरलाल/मगना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही/मय इनिशियल्स सत्र	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तारीख में जारी हुए
6.9.17	दि. 5.9.17 को अवकाश होने से पीठासीन अधिकारी के भ्रमण/~~अवकाश~~ पर होने से पत्रावली दिनांक 11.10.17 को वास्ते जवाब बहस पेश हो। रीडर	
11.10.17	पीठासीन अधिकारी के भ्रमण/~~अवकाश~~ पर होने से पत्रावली दिनांक 22.11.17 को वास्ते जवाब बहस पेश हो। रीडर	
22.11.17	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रा. पत्र के जवाब बहस हेतु दिनांक 29.11.17 को पेश हो।	
29.11.17	पीठासीन अधिकारी के ~~भ्रमण/अवकाश~~ अन्य राज्यकार्य पर होने से पत्रावली दिनांक 13.12.17 को वास्ते जवाब बहस पेश हो। रीडर	
13.12.17	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता श्री मुकेश जैन ने प्रत्यर्थी में 5 पारसी देवी की ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए साथ में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत व निवेदन किया कि माननीय न्यायालय में स्टेगन प्रा. पत्र की अपील विचाराधीन है। जबकि मूल वाद का निस्तारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में स्टेगन आदेश की अपील का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जावे। अधिवक्ता श्री मुकेश जैन ने प्रा. पत्र के साथ अधि. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की नकल प्रस्तुत की है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने भी अपील खारीज किये जाने में सहमति व्यक्त की है। चूंकि अधि. न्यायालय में मूल वाद को निस्तारित किया जा चुका है। अतः स्टेगन प्रा. पत्र की अपील के निस्तारण का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः अपील खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तरमीम के दाखिल दफ्तर हो। भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी	